न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार (आई.ए.एस.)

राजस्व निगरानी 20/2023

निगरानीकार–

1. श्री पुनमाराम पुत्र सोनाराम
2. रूपाराम पुत्र सोनाराम
3. बाबूराम पुत्र सोनाराम
4. पीराराम पुत्र सोनाराम के कायम मुकाम

4/1 अर्जुन पुत्र पीराराम
4/2 पीराराम पुत्र पीराराम
4/3 भीमाराम पुत्र पीराराम
4/4 कैलाश पुत्र पीराराम
जातियान मेघवाल, निवासीयान भागवा बी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

गैर निगरानीकार–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत भागवा
2. धुका पुत्र वाला जाति दरोगा के कायम मुकाम

2/1 मगसिंह पुत्र धुका उर्फ धुकसिंह के कायम मुकाम
2/1/1 प्रेमसिंह पुत्र मगसिंह
2/1/2 मनोहर सिंह पुत्र मगसिंह
2/1/3 मूलसिंह पुत्र मगसिंह
2/1/4 लक्ष्मी बेवा मगसिंह
जातियान रावणा राजपुत दरोगा, निवासी धोरो वाला मौहल्ला, भागवा तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध मिसल संख्या 1/81–82 पटटा संख्या 01 दिनांक 07.11.1981 जो अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत भागवा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री ओमसिंह राजपुरोहित, निगरानीकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राणाराम गौड़ गैर निगरानीकार की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :–28.02.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत भागवा की ओर से अप्रार्थी धुका पुत्र वाला जाति दरोगा निवासी धोरो वाला मौहल्ला, भागवा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 07.11.1981 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 01 ग्राम पंचायत भागवा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1961 के नियम 157(2) के तहत ग्राम भागवा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 01 दिनांक 07.11.1981 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1800 वर्ग फीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को

जिला कलेक्टर
बालोतरा

जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत भागवा का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय भूखण्ड मौजा भागवा में आया हुआ है, जिसमें नाप व पड़ौस पूर्व–पश्चिम 57.6 फीट, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में सकिया, लखमीया पि. पोकरिया का मकान, पूर्व में प्राथमिक विद्यालय का भवन तथा पश्चिम में पंचायत की भूमि पटवार का भवन, पूर्व पश्चिम 50 फीट, उत्तर दक्षिण 36 फीट कुल क्षैत्रफल 1800 वर्ग फीट, उक्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। ग्राम पंचायत भागवा ने जो पट्टा संख्या 01 जारी किया है उसमें उन्होंने राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा जारी करने का लिखा है, उक्त नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाता है उस व्यक्ति का उस मकान भुखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा होना चाहिए, परन्तु वादग्रस्त भुखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा। इस प्रकार ग्राम पंचायत भागवा ने पट्टा संख्या 01 जारी करने में विधिक प्रावधानों की अनदेखी है। ऐसी स्थिति में पटट्ा संख्या 01 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व न तो विधिक स्वामित्व की जांच की गई और न ही विधिक आधिपत्य की, वास्तव में ग्राम पंचायत इस संबंध में जांच कर लेती तो पट्टा संख्या 01 विप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी नहीं हो सकता था क्योकि मौके पर वादग्रस्त भुखण्ड पर प्रार्थीगण का ही कब्जा व स्वामित्व है। जिस भुखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 2 का न तो कब्जा हो सकता है और न ही कभी कब्जा रहा है।

5. अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने यह भी निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायत ने मिसल संख्या 01/81–82 कायम कर उस पत्रावली में पारित किये गये प्रस्ताव के आधार पर पट्टा संख्या 01 दिनांक 07.11.1981 को जारी करने के तथ्य पट्टे में अंकित किये गये जो वास्तव में एक साजिश ही है, जो इस बात से साबित है कि पट्टा जारी करने की तारीख 07.11.1981 है लेकिन उस पट्टे को जारी करने का सकंल्प दिनांक 28.01.1981 को लिया गया है और उसकी राशि भी जरिये रसीद संख्या 52 दिनांक 07.11.1981 को रूपये 108/– जमा करने के तथ्य अंकित किये है जिसका ग्राम पंचायत में कोई रेकर्ड नहीं है। पट्टा देखने से ही स्पष्ट है कि यह पट्टा फर्जी व कुटरचित है कारण कि उसमें अधिकतम कॉलम खाली है तथा पट्टा के कुछ कॉलम में कांट छांट भी की गई है तथा इस संबंध में पंचायत की कोई योजना भी नहीं बनायी गयी है न ही निलामी की कोई कार्यवाही की गई, न ही इस संबंध में कोई

जिला कलेक्टर
बालोतरा

प्रस्ताव लिया गया है संपूर्ण कार्यवाही अवैध व अनुचित तरीके से करते हुए पुनरीक्षणाधिन पट्टा जारी किया गया है जो कालिब निरस्त किये जाने योग्य है।

6. हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया गया जो निम्न प्रकार है–राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के तहत एवं ग्राम पंचायत भागवा के रजिस्टर में अंकित PEO (तत्कालीन पंचायत प्रसार अधिकारी) की टिप्पणी के अनुसार भूमि विक्रय बाजार दर के आधार पर ही दिया जाना चाहिए, बैठक में प्रार्थी का कब्जा कितने साल का है बताया नहीं गया है उसकी के आधार पर मूल्य तय करना था। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा चाही गई मौका कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा व हल्का पटवारी भागवा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित भुखण्ड पर प्राथीगण पूनमाराम व अन्य का लगभग 40–50 वर्षों से इसी भूखण्ड पर निवास कर रहा है व प्रार्थी का ही कब्जा रहा है। पत्रावली में उपलब्ध अड़ोस–पड़ोस के पट्टो से भी अप्रार्थी का कब्जा साबित नहीं होता। अधिवक्ता अप्रार्थी सं.02 वक्त बहस अनुपस्थित रहे हैं अप्रार्थी संख्या 02 के आलौच्य भूखण्ड पर पुराने कब्जे इत्यादि के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत/जवाब प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत भागवा द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 01 पारित किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है जो काबिल खारिज है। लिहाजा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे अनियमित रूप से पट्टा विलेख जारी किया गया है जो अनियमित एवं अविधिक कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत भागवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा सं. 01 दिनांक 07.11.1981 को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, बालोतरा

जिला कलेक्टर
बालोतरा